संख्या–1791/14–2–2017–800(165)/2016

प्रेषक,

आशीष तिवारी,
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय)
भारत सरकार, पर्यावरण,, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय, केन्द्रीय भवन
पंचम तल सेक्टर एच, अलीगंज विस्तार
लखनऊ।

वन एवं वन्य जीव अनुभाग–2 **लखनऊ, दिनांक 16 अगस्त 2017**

विषयः– जनपद कौशाम्बी के अन्तर्गत पुरानी जी0टी0 रोड का आन्तरिक भाग के किमी0 161.800 से किमी0 180.00 (कोखराज से मनौरी तक) चार लेन के चौड़ीकरण निर्माण में बाधक 1753 वृक्षों के पातन की अनुमति एवं क्षेत्रफल 17.626 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने कार्यालय पत्र संख्या–8बी/06/108/2016/एफसी/182 दिनांक 28–7–2017 का संदर्भ ग्रहण करें, जनपद कौशाम्बी के अन्तर्गत पुरानी जी0टी0 रोड का आन्तरिक भाग के किमी0 161.800 से किमी0 180.00 (कोखराज से मनौरी तक) चार लेन के चौड़ीकरण निर्माण में बाधक 1753 वृक्षों के पातन की अनुमति एवं क्षेत्रफल 17.626 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग से सम्बंधित है।

2– विषयगत प्रकरण में अपेक्षित सूचनायें एवं तत्संबंधी अभिलेख शासन के पत्र संख्या–1668/14:– 2–2017–800(165)/2016, दिनांक 26–7–2017 द्वारा अग्रेतर कार्यवाही हेतु आपके कार्यालय को प्रेषित की गयी है। आपके कार्यालय के पत्र दिनांक 28–7–2017 की अपेक्षा के कम में मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ ने अपने पत्र संख्या– 363/11– सी–एफपी/ यूपी/रोड/ 20685/2016, दिनांक 08–8–2017 के द्वारा सूचनायें एवं तत्सम्बंधी अभिलेख शासन को उपलब्ध कराते हुये प्रकरण में अग्रेतर कार्यवाही किये जाने हेतु शासन से अपेक्षा की गयी है।

3– मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र दिनांक 08–8–2017 के साथ उपलब्ध कराये गये सूचना/अभिलेखों को पुनः प्रेषित करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया विषयगत प्रकरण में अग्रेतर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नकः– यथोपरि।

भवदीय,

(आशीष तिवारी)
विशेष सचिव

संख्या–1791(1)/14–2–2017–तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0,लखनऊ।
2– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(भूपेन्द्र बहादुर सिंह)
अनु सचिव।